न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 48/2025 तारीख रजूः– 12.08.2025

जीसीएमएस नं0 2025/481

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

हरिप्रसाद पुत्र कपूर जाति महाजन निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ हाल निवासी किशन नगर हिण्डौन जिला करौली राजस्थान —————————— प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 24.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1440/4175 रकवा 04 ऐयर, 1447 रकवा 14 ऐयर, 1448 रकवा 17 ऐयर, कुल किता 03 कुल रकवा 35 ऐयर स्थित ग्राम ढिंढोरा, तहसील सूरौठ, जिला करौली है। जिसमें सायल 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र के खसरा नम्बर 1447, 1448 का साबिक खसरा नम्बर 1753 रकवा 01 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1440/4175 का साबिक खसरा नम्बर 1749 रकवा 03 बिस्वा रहा है, जो कि प्रार्थी की व उसके अन्य भाईयों रामभरोसी आदि की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र के साबिक खसरा नम्बरान 1749 व 1753 के समस्त साबिक

रिकॉर्ड में जमाबंदी संवत 2033 से 2036 व जमाबंदी संवत 2037 से 2040 सभी में सायल का नाम हरिप्रसाद पुत्र कपूर रहा है तथा सायल का सही नाम हरिप्रसाद पुत्र कपूर ही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 04 प्रार्थना पत्र प्रार्थी व उसके भाईयों को उसके पिता कपूर पुत्र लटूर से विरासत में प्राप्त हुई है तथा प्रार्थी के पिता कपूर की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी व उसके भाईयों के हक में विरासत का नामांतकरण भी खोला गया, उसमें भी प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद पुत्र कपूर दर्ज है, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम प्रारम्भ से ही राजस्व रिकॉर्ड में हरीप्रसाद पुत्र कपूर अंकित रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 05 में दर्ज किया है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की अन्य आराजीयात खाता संख्या नया 144 व 145 स्थित ग्राम ढिंढोरा की राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद पुत्र कपूर ही अंकित है, इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम हरिप्रसाद पुत्र कपूर ही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात जिनमें मैट्रिक की मार्कशीट, प्रार्थी का निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र तथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहकारी लिमिटेड बैंक के खाते में तथा भामाशाह कार्ड, जनाधार कार्ड व पैन कार्ड सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद पुत्र कपूर दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम हरिप्रसाद पुत्र कपूर है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि राजस्व कर्मचारियों ने आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकॉर्ड की सैग्रीगेशन के दौरान जमाबंदी तैयार करते समय प्रार्थी का नाम गलत तरीके से हरिप्रसाद के स्थान बद्रीप्रसाद दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम हरीप्रसाद है और पूर्व के सभी साबिक रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद ही दर्ज रहा है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई उक्त गल्ती को दुरुस्त किया जान कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि सायल द्वारा आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की ऑन लाइन जमाबंदी ई–मित्र के माध्यम से निकलवाई तो सायल को आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र में सायल का नाम हरिप्रसाद के स्थान पर बद्रीप्रसाद दर्ज होने की जानकारी हुई, जिसे देखकर सायल हक्का–बक्का रह गया और उक्त गल्ती की दुरुस्ती हेतु सायल तहसीलदार सूरौठ के पास दिनांक 11.08. 2025 को गया तो उन्होंने उक्त दुरुस्ती को करने से इन्कार कर दिया और न्यायालय हाजा में चाराजोही करने के लिए कहा। जिस पर उक्त दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि व नीयत न्याय शुल्क 2/– रुपये पर पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र को सुनने व फैसल करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सायल की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र में सायल के नाम बद्रीप्रसाद के स्थान पर हरिप्रसाद, सायल के अन्य रिकॉर्ड के अनुरूप दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी खाता संख्या हाल 142 स्थित ग्राम ढिंढोरा, तहसील सूरौठ में दुरुस्ती फरमायी जावे और इस हेतु तहरीर तहसीलदार सूरौठ को जारी फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बाद तामील उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि ग्राम ढिंढोरा की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी में खाता संख्या 142 खसरा नंबर 1440/4175 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1447 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1448 रकबा 0.1700 हैक्टेयर में खातेदार बद्रीप्रसाद पुत्र कपूर हि. 1/6 जाति महाजन सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि बिन्दु संख्या 2 स्वीकार है। खसरा नंबर 1447, 1448 का साबिक खसरा नंबर 1753 व खसरा नंबर 1440/4175 का साबिक खसरा नंबर 1749 रहे हैं एवं सायल की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रहे हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि बिन्दु संख्या 3 स्वीकार है। पूर्व जमाबंदी में साबिक खसरा नंबर 1749 व 1753 में खातेदार का नाम हरिप्रसाद पुत्र कपूर दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2033–36 में खातेदार का नाम उक्त खसरा नंबरान में सहवन से बद्रीप्रसाद पुत्र कपूर दर्ज हो गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं. 4 स्वीकार है। साबिक खसरा नंबर 1749 व 1753 की खातेदारी सायल को विरासत में प्राप्त हुई है। विरासत नामांतरकरण संख्या 363 दिनांक 20.04.1974 में खाता संख्या 54 लगायत 57 में सायल का नाम हरिप्रसाद पुत्र कपूर दर्ज है। नामांतरकरण सं. 363 में बद्रीप्रसाद पुत्र कपूर के नाम का कोई व्यक्ति नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि बिन्दु संख्या 5 स्वीकार है। सायल की अन्य खातेदारी आराजीयात जमाबंदी में खाता संख्या नया 144 व 145 ग्राम ढिंढोरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में सायल का नाम हरिप्रसाद पुत्र कपूर दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं. 6 स्वीकार है। सायल के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. की पासबुक में हरिप्रसाद पुत्र कपूरचंद ही दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं. 7 स्वीकार है। बिन्दु सं. 1 में अंकित आराजी में सैटलमेंट से पूर्व विभिन्न जमाबंदियों में सायल का नाम हरिप्रसाद पुत्र कपूर ही दर्ज था। सैटलमेंट के बाद उक्त आराजी में सायल का नाम बद्रीप्रसाद गलत दर्ज हो गया है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं. 8 कानूनी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं. 9 कानूनी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि बिन्दु सं. 10 कानूनी है।

इस प्रकार मुताबिक आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. की पासबुक, नामांतरकरण संख्या 363 में हरिप्रसाद पुत्र कपूरचंद ही दर्ज है। अतः ग्राम ढिंढोरा की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी में खाता संख्या 142 खसरा नंबर 1440/4175 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1447 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1448 रकबा 0.1700 हैक्टेयर में खातेदार बद्रीप्रसाद पुत्र कपूर के स्थान पर हरिप्रसाद पुत्र कपूर हि. 1/6 जाति महाजन सा. देह खातेदार शुद्ध किया जाना उचित होगा।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2033–36 किता 2, फोटो नकल नामान्तकरण सं0 363 दिनांक 15.04.1976, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता 3, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037–40, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति हाई स्कूल एक्जामिनेशन 1963 सर्टिफिकेट रोल नं0 31332 हरिप्रसाद गुप्ता पुत्र कपूर चन्द गुप्ता, फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या एसएफसी/0746792 हरिप्रसाद पुत्र कपूरचन्द निवासी किशन नगर/ कर्मचारी कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति इंडेन गैस कनैक्शन डायरी उपभोक्ता कमांक 8029631 हरिप्रसाद गुप्ता पुत्र कपूर चन्द गुप्ता निवासी किशन नगर कर्मचारी कोलोनी हिण्डौन, फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 921899723077 हरि प्रसाद गुप्ता पुत्र कपूर चन्द गुप्ता निवासी कर्मचारी कोलोनी किशन नगर हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 00232 हरिप्रसाद गुप्ता पुत्र कपूर चन्द निवासी किशन नगर जोशी फ्लोर के सामने वार्ड नं0 20 हिण्डौन

जिला करौली, आयकर विभाग आयुक्त जयपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्थाई लेखा संख्या ABUPG8087C हरिप्रसाद गुप्ता पुत्र कपूर चन्द गुप्ता, पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2033-36 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1749 रकबा 3 बिस्वा, 1753 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी किन्दूरी पुत्र मिश्री रामभरोसी बद्री प्रसाद राजेन्द्र कपूर जाति महाजन सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर नोट नामान्तकरण सं0 अपठनीय से किन्दूरी के बजाय केदार पुत्र किन्दूरी के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो नकल नामान्तकरण सं0 363 दिनांक 15.04.1976 के अनुसार कपूर पुत्र लटूर महाजन शेष बदस्तूर के स्थान पर रामभरोसी राजेन्द्र पि0 कपूर महाजन के नाम भरकर तस्दी किया गया है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071-74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1440/4175 रकबा 0.04 है0, 1447 रकबा 0.14 है0, 1448 रकबा 0.17 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ की खातेदारी बद्रीप्रसाद पुत्र कपूर हि0 1/6 जाति महाजन सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति सहखातेदार मताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071-74 के अनुसार खाता संख्या नया 144 कुल किता 9 कुल रकबा 2.45 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ में प्रार्थी हरिप्रसाद पुत्र कपूर हि0 1/12 जाति महाजन सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार खाता संख्या नया 145 कुल किता 11 कुल रकबा 2.07 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ में प्रार्थी हरिप्रसाद पुत्र कपूर हि0 1/24 जाति महाजन सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति हाई स्कूल एक्जामिनेशन1963 सर्टिफिकेट रोल नं0 31332 हरिप्रसाद गुप्ता पुत्र कपूर चन्द गुप्ता के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या एसएफसी/0746792 हरिप्रसाद पुत्र कपूरचन्द निवासी किशन नगर/ कर्मचारी कोलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति इंडेन गैस कनैक्शन डायरी उपभोक्ता कमांक 8029631 हरिप्रसाद गुप्ता पुत्र कपूर चन्द गुप्ता निवासी किशन नगर कर्मचारी कोलोनी हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 921899723077 हरि प्रसाद गुप्ता पुत्र कपूर चन्द गुप्ता निवासी कर्मचारी कोलोनी किशन नगर हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 00232 हरिप्रसाद गुप्ता पुत्र कपूर चन्द निवासी किशन नगर जोशी फ्लोर के सामने वार्ड नं0 20 हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

आयकर विभाग आयुक्त जयपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्थाई लेखा संख्या ABUPG8087C हरिप्रसाद गुप्ता पुत्र कपूर चन्द गुप्ता के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम हरि प्रसाद पुत्र कपूर है। जो प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर साबित है। किन्तु विवादित आराजी खसरा नम्बर 1440/4175 रकबा 0.04 है0, 1447 रकबा 0.14 है0, 1448 रकबा 0.17 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ की खातेदारी के कॉलम में बद्रीप्रसाद पुत्र कपूर हि0 1/6 जाति महाजन सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा

शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति सहखातेदार मताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं। जबकि प्रार्थी का सही नाम हरिप्रसाद पुत्र कपूर है,। इस प्रकार प्रार्थी उक्त विवादित आराजीयात में खातेदार बद्रीप्रसाद पुत्र कपूर हि0 1/6 जाति महाजन सा0देह खातेदार के स्थान पर हरिप्रसाद कपूर हि0 1/6 जाति महाजन सा0देह खातेदार संशोधन कराने का अधिकार साबित है। तहसीलदार सूरौठ ने भी अपने जबाव प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया है तथा उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1440/4175 रकबा 0.04 है0, 1447 रकबा 0.14 है0, 1448 रकबा 0.17 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ में खातेदार बद्रीप्रसाद पुत्र कपूर हि0 1/6 जाति महाजन सा0देह खातेदार के स्थान पर हरिप्रसाद कपूर हि0 1/6 जाति महाजन सा0देह खातेदार शुद्ध किया जाना उचित होगा, अंकित किया है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1440/4175 रकबा 0.04 है0, 1447 रकबा 0.14 है0, 1448 रकबा 0.17 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ में खातेदार बद्रीप्रसाद पुत्र कपूर हि0 1/6 जाति महाजन सा0देह खातेदार के स्थान पर हरिप्रसाद कपूर हि0 1/6 जाति महाजन सा0देह खातेदार संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेगें। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली